न्यायालयः– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला ब्यावर।

पीठासीन अधिकारी – हारून, आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी मूल वाद (क्लेम याचिका) संख्याः 142/2025(39/2024)
सी.आई.एस. संख्याः 48/2021
CNR No.– RJBE010007182021

01. अर्जुन सिंह पुत्र स्व. श्री राजूसिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम सालरमाला, पोस्ट हनुतिया, पुलिस थाना बिजयनगर, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर, हाल जिला ब्यावर।

....प्रार्थी

बनाम

01. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जरिये चेयरमैन, अजमेर।
02. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जरिये अधीक्षण अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर।
03. सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बिजयनगर, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर, हाल जिला ब्यावर।

....अप्रार्थीगण

क्षतिपूर्ति मांग पत्र अंतर्गत धारा 1 क घातक दुर्घटना अधिनियम

उपस्थितः–
1. श्री लक्ष्मीकांत व्यास, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
2. श्री शैलेंदर गण्डेर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थीगण।

:: निर्णय :: **दिनांकः 19.08.2026**

1. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/क्षतिपूर्ति मांग पत्र अंतर्गत धारा 1 क घातक दुर्घटना अधिनियम प्रार्थी के सगे भाई की मृत्यु होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु दिनांक 06.07.2021 को प्रस्तुत किया गया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.01.2021 को त्रिलोकसिंह अपने घर से अपने खेत पर जा रहा था। मौजा गिरधारी की नाड़ी के पास पहुंचा कि उसी समय अप्रार्थीगण की घोर लापरवाही एवं उपेक्षा के परिणामस्वरूप उनकी बिजली का तार टूटकर जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसमें विद्युत प्रवाह चालू था तथा अप्रार्थीगण की उक्त विद्युत तार में ग्यारह हजार वोल्टेज करंट प्रवाहित था तथा त्रिलोकसिंह के अचानक ही उक्त तार से टच हो जाने की वजह से उसे अचानक तेज

करंट आ गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी मर्ग रिपोर्ट संख्या 02/2021 पुलिस थाना बिजयनगर में दी गई। अप्रार्थीगण अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारी हैं तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 02 के अधीन कार्यरत हैं तथा तीनों अप्रार्थीगण एक–दूसरे की कार्यवाही से पूर्ण रूप से बाध्य एवं पाबंद है। अप्रार्थीगण का कार्य ग्राम एवं शहर में विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत संबंधी रख–रखाव का है तथा विद्युत तारों का पूर्ण रखाव, भूतल से जमीन से आवश्यक ऊंचाई पर रखना एवं अन्य विद्युत संबंधी कार्य एवं कर्तव्य सम्मिलित हैं। त्रिलोकसिंह की मृत्यु अप्रार्थीगण द्वारा बरती गई घोर लापरवाही एवं उपेक्षा के परिणामस्वरूप घटित हुई है। प्रार्थी मृतक त्रिलोकसिंह का कानूनी वारिस एवं उत्तराधिकारी है। अंत में प्रार्थी को अप्रार्थीगण से क्षतिपूर्ति राशि दिलाने जाने की प्रार्थना की।

3. अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी अर्जुन सिंह किसी भी रूप में मृतक त्रिलोक सिंह की सम्पत्ति अथवा क्लेम राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि मृतक त्रिलोक सिंह प्रार्थी का छोटा भाई था। प्रार्थी अर्जुन सिंह त्रिलोक सिंह पर निर्भर नहीं था, अपितु त्रिलोक अर्जुन सिंह पर निर्भर था। विद्युत विभाग द्वारा उक्त घटना की जांच हेतु कमेटी बनाई गई, जिसे कि घटना की जांच की जाकर जांच रिपोर्ट को अपने उच्च अधिकारियों को सौंपना था। इसी क्रम में अधिशाषी अभियंता डी.के. खण्डेलवाल द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 29.04.2021 में उपराव सिंह, धर्मा चौहान, विश्वजीत रॉय, प्रमोद कुमार इत्यादि के बयान लिए गए तथा दौराने जांच घटनास्थल के फोटोग्राफ्स भी लिए गए। बाद जांच पाया गया कि उक्त दुर्घटना संयोगवश घटित हुई है, इसमें निगम के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दोष नहीं था। अंत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 19.10.2023 को प्रकरण में निम्न विवाद्यक विरचित किए गए थेः–

    01. आया दिनांक 14.01.2021 को समय लगभग शाम 06:30 PM बजे मौजा गिरधारी की नाड़ी, बिजयनगर, पुलिस थाना बिजयनगर के क्षेत्राधिकार में अप्रार्थीगण की घोर लापरवाही एवं उपेक्षा के परिणामस्वरूप श्री त्रिलोकसिंह के जबरदस्त करंट आ जाने की वजह से उनकी मृत्यु कारित हुई?

02. आया प्रार्थी मांग पत्र में वर्णित क्षतिपूर्ति राशि अप्रार्थीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है?

03. आया अप्रार्थीगण के जवाब मांग पत्र में उठाई गई आपत्तियों के आधार पर प्रार्थी क्षतिपूर्ति राशि पाने के अधिकारी नहीं हैं?

04. अनुतोष

5. प्रार्थी की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए.डब्ल्यू. 01 अर्जुन सिंह, ए.डब्ल्यू. 02 नरेन्द्र सिंह का सशपथ परीक्षण करवाया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श 01 दुर्घटना का अंतिम प्रतिवेदन, प्रदर्श 02 रोजनामचा रपट पुलिस, प्रदर्श 03 पुलिस उपाधीक्षक नसीराबाद को प्रेषित पत्र, प्रदर्श 04 घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श 05 घटना की तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श 06 पोस्टमार्टम करवाने बाबत् पत्र, प्रदर्श 07 पंचनामा, प्रदर्श 08 सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श 09 नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श 10 बयान गवाह निम्बा, प्रदर्श 11 बयान गवाह सुलेमान, प्रदर्श 12 बयान गवाह सोहन सिंह, प्रदर्श 13 बयान गवाह शिवसिंह, प्रदर्श 14 बयान गवाह लक्ष्मणसिंह, प्रदर्श 15 बयान गवाह अर्जुन सिंह, प्रदर्श 16 बयान गवाह प्रेमसिंह, प्रदर्श 17 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श 18 केस डायरी, प्रदर्श 19 ए आधारकार्ड की फोटोप्रति, प्रदर्श 20 अंक तालिका सत्र 2017–18 मृतक त्रिलोक सिंह को प्रदर्शित करवाया।

6. अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किए जाने पर दिनांक 18.05.2026 को साक्ष्य का अवसर बंद किया गया।

7. उक्त विवाद्यकों के संबंध में मेरा विवेचन निम्नप्रकार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या 01</u>:–

8. उक्त विवाद्यक का सिद्धिभार प्रार्थी पर रखा गया है, जिसके संबंध में प्रार्थी की तरफ से स्वयं प्रार्थी अर्जुन सिंह बतौर ए.डब्ल्यू. 01 उपस्थित हुआ है, जिसने अपना हल्फनामा पेश किया तथा प्रार्थना पत्र में किए गए कथनों की पुनरावृत्ति की है तथा एक अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 02 नरेंद्र सिंह भी न्यायालय में परीक्षित हुआ है। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 दुर्घटना का अंतिम प्रतिवेदन, प्रदर्श 02 रोजनामचा रपट पुलिस, प्रदर्श 03 पुलिस उपाधीक्षक नसीराबाद को प्रेषित पत्र, प्रदर्श 04 घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श 05 घटना की तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श 06 पोस्टमार्टम करवाने बाबत् पत्र, प्रदर्श 07 पंचनामा, प्रदर्श 08 सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श 09 नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श 10 बयान गवाह निम्बा, प्रदर्श 11 बयान गवाह

सुलेमान, प्रदर्श 12 बयान गवाह सोहन सिंह, प्रदर्श 13 बयान गवाह शिवसिंह, प्रदर्श 14 बयान गवाह लक्ष्मणसिंह, प्रदर्श 15 बयान गवाह अर्जुन सिंह, प्रदर्श 16 बयान गवाह प्रेमसिंह, प्रदर्श 17 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श 18 केस डायरी, प्रदर्श 19ए आधारकार्ड की फोटोप्रति, प्रदर्श 20 अंक तालिका सत्र 2017–18 मृतक त्रिलोक सिंह प्रदर्शित करवाए हैं।

9. अप्रार्थीगण की तरफ से कोई गवाह उपस्थित नहीं आया व ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई।

10. बहस विवाद्यक सुनी गई।

11. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी एवं मृतक दोनों एक संयुक्त परिवार का हिस्सा थे, उनके माता–पिता की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। मृतक अविवाहित था और अपने बड़े भाई की आमदनी में हाथ बंटाता था। खेतों में काम करता था। उसके जाने की वजह से प्रार्थी को हानि हुई है। क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के लिए डिपेन्डेंसी साबित करनी आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह MACT Claim नहीं है। एक जवान व्यक्ति की मौत अप्रार्थीगण की लापरवाही एवं गफलत की वजह से कारित हुई है। परिवार को मानसिक एवं आर्थिक नुकसान पहुंचा है और भारी सदमा लगा है कि उनके छोटे भाई की अप्रार्थीगण की गफलत एवं लापरवाही की वजह से असमय मृत्यु हो गई। अगर वह जिंदा रहता, तो परिवार की आय बढ़ाने में मदद करता, इसलिए नुकसान की भारपाई के लिए पूर्ण रूप से अप्रार्थीगण जिम्मेदार हैं।

12. विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी स्वयं न्यायालय में बतौर गवाह ए.डब्ल्यू. 01 परीक्षित हुआ है तथा एक अन्य गवाह नरेंद्र सिंह बतौर ए.डब्ल्यू. 02 परीक्षित हुआ है और उनकी साक्ष्य मजबूत एवं सुदृढ़ है। प्रार्थी यह साबित करने में सफल रहा है कि विद्युत लाइन को मेन्टेन करने की जिम्मेदारी अप्रार्थीगण की थी, जिसमें अप्रार्थीगण लापरवाह रहे हैं, जिसकी वजह से प्रार्थी के छोटे भाई की मृत्यु कारित हुई है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण की गफलत एवं लापरवाही साबित करने में पूर्ण रूप से सक्षम रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 01 का निर्णय प्रार्थी के हक में किया जाता है।

13. विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अप्रार्थी की तरफ से किसी भी तरह से प्रार्थी के कथनों का खण्डन नहीं हो पाया है, उनकी तरफ से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है, जो प्रार्थी के केस का खण्डन कर सके। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि पूर्व में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी

से राजीनामा की पेशकश दी गई थी और पांच लाख रुपये का चैक भी दिया गया था, लेकिन प्रार्थी ने उस चैक को स्वीकार करने से मना कर दिया।

14. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थी ने Material Facts कोर्ट से छिपाये हैं। इसकी एक बहन भी legal heirs में है, उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो कि एक आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थी First Category का Legal Heir नहीं है। मृतक छोटा भाई था, जो बड़े भाई पर निर्भर था, बड़ा भाई छोटे भाई की आमदनी पर निर्भर नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण की लापरवाही साबित करने में सक्षम नहीं हो पाया है और ना ही वह बताने में सक्षम हो पाया है कि प्रार्थी क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का हकदार है। गवाह पी.डब्ल्यू. 01 ने स्वयं जिरह में स्वीकार किया है कि बड़ी बहन शादीशुदा है, ससुराल में रहती है। प्रार्थी यह भी स्वीकार करता है कि मृतक प्रार्थी पर निर्भर था। मैं मृतक पर निर्भर नहीं था।

15. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि पूर्व में मीडियेशन के जरिये राजीनामा के लिए एक पांच लाख का चैक जरूर पेश किया गया था, लेकिन चैक प्रार्थी द्वारा स्वीकार नहीं करने पर चैक पुनः डिपार्टमेंट को भेज दिया गया था, जो कि डिपोर्टमेंट की कार्यवाही है। यह उनका प्रोसेस है और डिपार्टमेंट लेवल पर ही यह तय किया जाता है कि कौन आदमी इसके लिए हकदार है, कौन नहीं।

16. मैंने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के अनुसार दुर्घटना के समय प्रार्थी का भाई दिनांक 14.01.2021 को शाम 06:30 PM पर प्रार्थी का भाई अपने घर से खेत पर जा रहा था, गिरधारी की नाड़ी के पास बिजली का तार टूटकर जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसमें विद्युत प्रवाह चालू था तथा उक्त तार में ग्यारह हजार वोल्टेज करंट प्रवाहित था, जिसके टच हो जाने की वजह से उसे तेज करंट आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी पुष्टि ए.डब्ल्यू. 01 व 02 के बयानों से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य होती है। प्रार्थी द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में भी यह कथन दोहराए गए हैं। बिजली के तारों के रख–रखाव की जिम्मेदारी अप्रार्थीगण (बिजली विभाग) की होती है, लेकिन न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या बिजली की तारों का Maintenance अप्रार्थीगण की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से मृतक के करंट लगा और उसकी मृत्यु हो गई?

17. प्रार्थी के हल्फनामे एवं तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 05 में यह कथन किया गया है कि मृतक अपने घर से अपने खेत पर जा रहा था, तब गिरधारी की नाडी के पास बिजली का तार टूटकर जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसमें ग्यारह हजार वोल्टेज करंट प्रवाहित था, के टच होने से करंट आने से उसकी मृत्यु हो गई। यह तथ्य प्रार्थी ने अपने हल्फनामा, जो न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है, में भी दर्ज किया है कि उसके भाई के खेत जाते समय गिरधारी की नाडी के पास बिजली का तार टूटकर जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसमें ग्यारह हजार वोल्टेज करंट प्रवाहित था, के टच होने से करंट आने से उसकी मृत्यु हो गई। दौराने प्रतिपरीक्षण भी इस तथ्य का खण्डन नहीं किया जा सका कि मौके पर तार टूटा हुआ नहीं था, बल्कि PMR Report प्रदर्श 17, धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही प्रदर्श 04 एवं फर्द पंचनामा प्रदर्श 07 सभी में मृतक की मृत्यु 11,000 वोल्टेज की तार से, जो टूट कर नीचे गिरा था, से होना पाई गई है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। यह भी निर्विवादित है कि बिजली की तारों के रख–रखाव के लिए बिजली विभाग जिम्मेदार है। किसी भी तथ्य का अगर खण्डन नहीं किया जाता है, तो वह तथ्य साबित होना माना जाता है। हालांकि ए.डब्ल्यू. 01 ने यह स्वीकार किया है कि उसकी एक बहन सुमित्रा भी है, स्वतः कहा कि शादीशुदा है और ससुराल रहती है। यह कहना सही है कि उसे इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है, स्वतः कहा कि वह शादीशुदा होकर ससुराल में रहती है, इसलिए पक्षकार नहीं बनाया। यह सही है कि वह घटना के वक्त मौजूद नहीं था, उसने घटना होते हुए नहीं देखी। यह कहना सही है कि मृतक उसके ऊपर निर्भर था, वह मृतक के ऊपर निर्भर नहीं था। मृतक केवल खेतीबाड़ी व मजदूरी का कार्य करता था।

18. कोई भी व्यक्ति या संस्थान जब किसी hazardous industory का प्रबंधन करता है तो उस पर strict liability एवं vicarious liability का सिद्धांत लागू होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचनामा स्पष्ट रूप से मौखिक साक्ष्य का समर्थन करते हैं, पुलिस की 174 Crpc की रिपोर्ट में भी दुर्घटना बिजली के झटके के कारण मृत्यु होने के तथ्य दर्ज हैं। न्यायिक दृष्टांत **Rylands Vs Fletcher, 1868** में एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत **ए.बी.सी. इंटरनेशन लिमिटेड बनाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (2004) 3 SCC 553** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अगर राज्य या उसकी किसी ईकाई द्वारा कोई सिविल

wrong कमिट किया गया है तो यह माना जाना चाहिए कि राज्य किसी अलग पायदान पर खड़ा नहीं होता। उस केस में जहां जिम्मेदारी strict liability पर तय होती है। यहां अप्रार्थीगण का दायित्व था कि विद्युत प्रवाहित तारों के उचित रखरखाव या मरम्मत करने में बिजली संचालन में लापरवाह रहा हो, क्योंकि विद्युत प्रवाह की लाइन नक्शा मौका प्रदर्श 09 से भी जाहिर होता है कि विद्युत लाइन टूट कर नीचे गिरी हुई थी। धारा 68 एवं नियम 91, विद्युत अधिनियम, 2003 में यह निर्धारित किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों, गलियों या जहां आबादी है, उसमें विद्युत सप्लाई के लिए बिजली विभाग क्या–क्या सुरक्षा प्रबंध करता है, तो इस नियम से भी यह अप्रार्थीगण की जिम्मेदारी बनती है कि उसका रखरखाव कर और नियमित जांच कर दुरुस्त किया जाए। घातक दुर्घटना अधिनियम की धारा 1ए में अप्रार्थी पक्ष की लापरवाही साबित करना जरुरी है, जिसको साबित करने का भार प्रार्थी/वादी पर है, जिसके संबंध में प्रार्थी की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 17 पेश कर प्रदर्शित करवाई गई, जिससे यह साबित होता है कि मृतक की मृत्यु करंट लगने की वजह से हुई थी। अगर उसकी पूर्व में कोई शिकायत भी नहीं की गई है, तब भी यह दायित्व बिजली विभाग का था। अप्रार्थीगण की ओर से किसी भी गवाह को परीक्षित नहीं करवाया गया है, जिससे प्रार्थी के उक्त कथनों का खण्डन होता हो। अतः उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि strict liability के सिद्धांत के अनुसार अप्रार्थीगण की लापरवाही की वजह से प्रार्थी के भाई की जान गई है। प्रार्थी इस विवाद्यक को साबित करने में सक्षम हो पाया है। अतः यह विवाद्यक प्रार्थी के हक में एवं अप्रार्थी के विरुद्ध तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 02:–

19. उक्त विवाद्यक का सिद्धिभार प्रार्थी पर रखा गया था, जिसके संबंध में प्रार्थी ए.डब्ल्यू. 01, पी.डब्ल्यू. 02 के हल्फनामे मौखिक साक्ष्य में पेश किए हैं और प्रार्थी ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि त्रिलोक सिंह की मृत्यु के उपरांत उनको घोर मानसिक क्षति पहुंची तथा आर्थिक नुकसान हुआ है। अप्रार्थी की तरफ से किसी भी तरह से प्रार्थी के कथनों का खण्डन नहीं हो पाया है, उनकी तरफ से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है, जो प्रार्थी के केस का खण्डन कर सके। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि पूर्व में

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी से राजीनामा की पेशकश दी गई थी और पांच लाख का चैक भी दिया गया था, लेकिन प्रार्थी ने उस चैक का स्वीकार करने से मना कर दिया।

20. बहस विवाद्यक सुनी गई।

21. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तर्क दिया गया है कि क्षतिपूर्ति राशि की गणना future prospective के हिसाब से है, इससे प्रार्थीगण को कुल 1,02,00,000/- रुपये का नुकसान हुआ है तथा मानसिक पीड़ा हुई।

22. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क है कि मृतक की कोई आय का साधन नहीं था, बल्कि वह अपने बड़े भाई पर निर्भर था। प्रार्थी ने दौराने प्रतिपरीक्षण यह कहना सही बताया है कि मृतक का कोई आय प्रमाण पत्र पत्रावली पर नहीं है। मृतक 15-16 साल का छोटा बालक था, जो कि पूर्ण रूप से परिवार पर निर्भर था। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि पूर्व में मीडियेशन के जरिये राजीनामा के लिए एक पांच लाख का चैक जरूर पेश किया गया था, लेकिन चैक प्रार्थी द्वारा स्वीकार नहीं करने पर चैक पुनः डिपार्टमेंट को भेज दिया गया था, जो कि डिपोर्टमेंट की कार्यवाही है। यह उनका प्रोसेस है और डिपार्टमेंट लेवल पर ही यह तय किया जाता है कि कौन आदमी इसके लिए हकदार है, कौन नहीं। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का तर्क है कि उक्त दुर्घटना में मृतक की Contributory negligence है तथा उसकी लापरवाही की वजह से ही उसकी मृत्यु कारित हुई है।

23. मैंने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। मृतक की की उम्र दुर्घटना के समय 17 वर्ष थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **R.D. Hattagadi Vs Pest Control India (1995) 1 SCC Page 551** में यह भी प्रतिपादित किया है कि क्षतिपूर्ति राशि तय करते समय pecuniary damages वे damages होते हैं जिनकी assesment की जा सकती है, जो विक्टिम की मृत्यु के उपरांत उत्पन्न हुए है, जिनकी गणना रुपयों में की जा सकती है। Non-pecuniary damage वह damage होते हैं, जिनकी गणना arithmetic calculation से करना संभव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि दी जा सकती है, क्योंकि मृतक की उम्र 17 वर्ष थी, जो खेतीबाड़ी व मजदूरी का कार्य करता था। अतः मेरी राय में pecuniary damage के रूप में अगर मृतक की आय 6,000/- रुपये मासिक भी माने तथा उसका 50 प्रतिशत स्वयं पर खर्च होने पर 3,000/- रुपये महीने से भी 6,48,000/- रुपये होते हैं। हालांकि यह गुणांक

मोटर दुर्घटना में कार्य करता है। अतः मृतक की क्षतिपूर्ति 5,00,000/– रुपये का minimum loss assess किया जाना उचित प्रतीत होता है + दाह संस्कार व अन्य क्रियाकर्म खर्च 50,000/– रुपये इस प्रकार कुल 5,50,000/– रुपये आय की हानि माना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक बड़ी बहन का प्रश्न है, अगर प्रार्थी की बड़ी बहन उपस्थित होती है, तो प्रार्थिया भी इस क्षतिपूर्ति राशि में अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी मानी जाएगी।

विवाद्यक संख्या 03:–

24. उक्त विवाद्यक का सिद्धिभार अप्रार्थीगण पर रखा गया है, जिसके संबंध में अप्रार्थीगण की तरफ से कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है और वादी की जो प्रतिपरीक्षा है, उसमें ऐसा कोई तथ्य सामने उभरकर नहीं आया है कि केस बोगस है या गलत तथ्यों पर आधारित है और मृत्यु करंट लगने से नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा और तहरीरी रिपोर्ट 174 Crpc की कार्यवाही एवं मौखिक बयान स्पष्ट रूप से यह साबित करने में प्रार्थी सक्षम रहा है कि अप्रार्थीगण की लापरवाही की वजह से घटना कारित हुई है। अगर अप्रार्थीगण अपने कर्तव्यों के प्रति जरा भी सावधान होते, तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। अतः उक्त विवाद्यक अप्रार्थीगण के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है।

अनुतोष:–

25. उपरोक्तानुसार विवाद्यक संख्या 01 व 02 प्रार्थी के पक्ष में तथा विवाद्यक संख्या 03 अप्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णीत किया गया है। अतः दावा प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है।

।। आदेश ।।

26. अतः प्रार्थी अर्जुन सिंह द्वारा प्रस्तुत दीवानी वाद (क्लेम याचिका) विरुद्ध अप्रार्थीगण अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अंतर्गत धारा 1क घातक दुर्घटना अधिनियम स्वीकार किया जाकर कर वाद में प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति राशि 5,50,000/– रुपये **(अक्षरे पांच लाख पचास हजार रुपये)** की डिक्री संयुक्ततः सव्यय प्रदान की जाती है। प्रार्थी उक्त राशि पर वाद प्रस्तुति की तिथि से वसूली तक **6%** वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी है। तद्नुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

27. उक्त क्षतिपूर्ति राशि पाने से पूर्व प्रार्थी इस न्यायालय में अपना शपथ पत्र इस आशय

के पेश करें कि इस दुर्घटना से संबंधित अन्य कोई वाद पत्र अन्य किसी भी न्यायालय में पेश नहीं किया है, न ही कोई क्षतिपूर्ति राशि अन्यत्र कहीं से भी प्राप्त की है।

(हारून)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
ब्यावर।

28. निर्णय आज दिनांक **19.08.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हारून)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
ब्यावर।

PAWAN
Steno Grade III "Authenticated Document" Digitally signed by PAWAN Date: 2026.08.20 16:19:08 +0530